

2¹²/₂₄

पतावली पेशा। वकील वारी / वारी को
आवाज लमाई गयी। बार-बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वारी /
वारी न्यायालय में उपस्थित नहीं
होने पर वारी का वाद अदम
क्षारी अदम पेशी में खारिज किया
जाता है। पतावली फेरत शुमार होकर
नाम्बर से कम होकर दारित इफतर
हो। Amulya